

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:-12.3.18

क्रमांक/वाद/2018/370
राजस्व आवेदन संख्या - 83/18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री पेमाराम पुत्र देवाराम वगैरा 7 जाति जाट निवासी नागोणा तला, कानोड़ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. श्री पुरोदेवी पत्नी रूपाराम वगैरा 11 निवासी नागोणा तला, कानोड़ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा नागोणा तला पटवार हल्का कानोड़ के खेत खसरा नम्बर 472, 473 रकबा कमशः 00.03, 180.09 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2018/371-375
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कानोड़ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री पेमाराम पुत्र देवाराम वगैरा 7।
4. विप्रार्थीगण श्री पुरोदेवी पत्नी रूपाराम वगैरा 11।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

(हेताराम चौहान) SDO,
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांक 12/3/18

(हेताराम चौहान) SDO,
उपखण्ड अधिकारी, बायतु